बिहार पुलिस अवर सेवा आयोग, पटना

5, हार्डिंग रोड, पटना – 800001

(वेबसाईटः www.bpssc.bih.nic.in)

संदर्भः–विज्ञापन संख्या–02/2023

पुलिस अवर निरीक्षक पद की मुख्य लिखित परीक्षा के आधार पर सफल अभ्यर्थियों की शारीरिक दक्षता परीक्षा का आयोजन, प्रवेश–पत्र एवं अभिलेख सत्यापन के सम्बन्ध में आवश्यक निर्देश :–

(1) विज्ञापन संख्या–02/2023 के अंतर्गत पुलिस अवर निरीक्षक पद पर नियुक्ति प्रक्रिया के क्रम में मुख्य लिखित परीक्षा दिनांक–25.02.2024 को आयोजित की गयी थी जिसका परीक्षाफल दिनांक–15.03.2024 को प्रकाशित किया जा चुका है।

(2) मुख्य लिखित परीक्षा के आधार पर अगले चरण के लिए योग्य पाये गये अभ्यर्थियों का शारीरिक दक्षता परीक्षा {Physical Efficiency Test(PET)} में सम्मिलित होना अनिवार्य होगा। शारीरिक दक्षता परीक्षा के प्रावधान एवं शर्तें विज्ञापन संख्या–02/2023 के अनुरूप होंगे।

(3) शारीरिक दक्षता परीक्षा का आयोजन जून माह के द्वितीय सप्ताह में पटना में किया जायेगा। शारीरिक दक्षता परीक्षा का प्रवेश–पत्र आयोग की बेवसाइटः www.bpssc.bih.nic.in पर Bihar Police tab के अन्तर्गत दिनांक–29.05.2024 से उपलब्ध रहेगा। अभ्यर्थी अपना ई–प्रवेश–पत्र डाउनलोड कर प्रिंट आउट ले लें। स्पष्ट किया जाता है कि कोई भी प्रवेश–पत्र डाक द्वारा प्रेषित नहीं किया जायेगा।

(4) जो अभ्यर्थी किसी कारणवश वेबसाईट से ई–प्रवेश–पत्र डाउनलोड नहीं कर सकें वे दिनांक–07.06.2024 को पूर्वाह्न 10:00 बजे से संध्या 17:00 बजे तक बिहार पुलिस अवर सेवा आयोग के 5, हार्डिंग रोड, पटना–800001 स्थित कार्यालय से डुप्लिकेट ई–प्रवेश–पत्र प्राप्त कर सकते हैं। ऐसे अभ्यर्थी अपने आवेदन–पत्र की पावती की छाया प्रति एवं एक वैध फोटोयुक्त पहचान–पत्र के साथ आयोग के उपरोक्त कार्यालय में स्वयं उपस्थित होकर अपने खर्च पर डुप्लिकेट ई–प्रवेश–पत्र प्राप्त कर सकते हैं।

(5) शारीरिक दक्षता परीक्षा (PET) में निर्धारित तिथि को प्रत्येक अभ्यर्थी का सम्मिलित होना एवं सफल अभ्यर्थियों को अभिलेख सत्यापन कराना अनिवार्य है, अन्यथा वे अयोग्य माने जायेंगे और उन्हें दूसरा अवसर नहीं दिया जायेगा। **किसी भी स्थिति में अवधि विस्तार का अनुरोध स्वीकार्य नहीं होगा।**

(6) शारीरिक दक्षता परीक्षा (PET) के अवसर पर सभी अभ्यर्थी निर्दिष्ट समय पर अपने प्रवेश–पत्र एवं ऑनलाइन आवेदन–पत्र की पावती की छायाप्रति के अतिरिक्त निम्नांकित मूल प्रमाण–पत्रों तथा उसकी एक सेट छायाप्रति के साथ उपस्थित होंगे :–

- (i) वैध फोटोयुक्त पहचान–पत्र जैसे– मतदाता पहचान–पत्र, ड्राईविंग लाइसेंस, आधार कार्ड आदि।
- (ii) स्नातक परीक्षा या समकक्ष परीक्षा उत्तीर्णता का शैक्षणिक योग्यता प्रमाण–पत्र। (विज्ञापन में वर्णित कट–ऑफ–तिथि 01.08.2023 आच्छादित होना चाहिए।)
- (iii) जन्म तिथि का प्रमाण–पत्र (मैट्रिक सर्टिफिकेट)।
- (iv) सक्षम प्राधिकार द्वारा निर्गत जाति प्रमाण–पत्र (अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, अत्यंत पिछड़ा वर्ग एवं पिछड़ा वर्ग कोटि के लिए)। महिला अभ्यर्थियों (विवाहित/अविवाहित) का जाति प्रमाण–पत्र पिता के आधार पर निर्गत होने पर ही मान्य होगा।

(v) क्रीमीलेयर में नहीं आने संबंधी प्रमाण–पत्र (पिछड़ा वर्ग एवं अत्यंत पिछड़ा वर्ग के अभ्यर्थियों के लिए)। क्रीमीलेयर रहित (NCL) प्रमाण–पत्र, महिला अभ्यर्थियों (विवाहित / अविवाहित) का क्रीमीलेयर रहित प्रमाण–पत्र पिता के आधार पर निर्गत होने पर ही मान्य होगा। (प्रमाण–पत्र विज्ञापन में वर्णित कट–ऑफ–तिथि 01.08.2023 को आच्छादित होना चाहिए)

(vi) बिहार राज्य के स्थायी निवासी होने संबंधी प्रमाण–पत्र (सभी आरक्षित कोटियों के अभ्यर्थियों के लिए)।

(vii) बिहार राज्य के स्वतंत्रता सेनानियों के पोता/पोती/नाती/नतीनी (यदि लागू हो तो) होने संबंधी मूल प्रमाण–पत्र, बिहार सरकार, सामान्य प्रशासन विभाग, बिहार, पटना के पत्र संख्या–11687/सा0प्र0 दिनांक–30.08.2016 में विहित प्रपत्र के अनुसार।

(viii) बिहार राज्य के आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग का सदस्य (यदि लागू हो तो) होने संबंधी प्रमाण–पत्र, बिहार सरकार सामान्य प्रशासन विभाग की अधिसूचना संख्या 2622, दिनांक–26 फरवरी, 2019 (गजट संख्या 284) के द्वारा विहित प्रपत्र के अनुसार, जिसमें विज्ञापन में वर्णित कट–ऑफ–तिथि 01.08.2023 आच्छादित हो।

(ix) बिहार सरकार के सरकारी सेवक होने संबंधी प्रमाण–पत्र (यदि लागू हो तो), बिहार सरकार में कार्यरत ऐसे सरकारी सेवक, जिन्होंने विज्ञापन में वर्णित कट ऑफ तिथि तक नियमित सेवा में न्यूनतम तीन वर्षों की अवधि पूरी कर ली हो, वे अपने नियंत्री पदाधिकारी द्वारा निर्गत प्रमाण–पत्र अनिवार्य रूप से साथ लाएँगे।

(x) भूतपूर्व सैनिक अभ्यर्थियों को अपना पी0पी0ओ0 तथा डिस्चार्ज बुक लाना अनिवार्य होगा।

(xi) किन्नर / कोथी / हिजड़ा / ट्रांसजेंडर (थर्ड जेन्डर) अभ्यर्थियों को बिहार राज्य का मूल निवासी होने का प्रमाण–पत्र तथा राज्य सरकार द्वारा निर्धारित सक्षम प्राधिकार द्वारा निर्गत प्रमाण–पत्र उनके ट्रांसजेन्डर होने के निमित्त प्रस्तुत करना होगा।

(7) प्रतियोगिता परीक्षा के प्रत्येक चरण में सभी अभ्यर्थियों को विज्ञापन संख्या–02/2023 में वर्णित सभी शर्तों / प्रावधानों का पूर्णतः पालन करना अनिवार्य होगा।

ह0/–

विशेष कार्य पदाधिकारी,

बिहार पुलिस अवर सेवा आयोग,

बिहार, पटना।

पत्र संख्या बि0पु0अ0से0आ0/परीक्षा–01–01/2024–**516** दिनांक–08.04.2024

बिहार पुलिस अवर सेवा आयोग का कार्यालय,

5, हार्डिंग रोड, पटना – 800001